

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर  
Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer

विवरणिका  
(SYLLABUS)

कक्षा 11 परीक्षा, 2026 (संशोधित)  
Class-11 Examination, 2026 (Amended)  
(परीक्षा पाठ्यक्रम तथा अंक विभाजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  
परीक्षा वर्ष 2026 के लिए मान्य है)



# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

## विषय सूची

1. परीक्षा वर्ष 2026 की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में पाठ्यपुस्तकों में मुद्रित पाठ्यक्रम तथा बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किये गये पाठ्यक्रम/अंक विभाजन में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड अद्यतित (UPDATED) पाठ्यक्रम में दिया गया अंक विभाजन ही मान्य होगा।
2. कक्षा 11 परीक्षा-2026 के लिए आवश्यक निर्देश
3. कक्षा 11 परीक्षा-2026 के लिए परीक्षा योजना

## पाठ्यक्रम

### (अ) अनिवार्य विषय

- 1 हिन्दी
- 2 अंग्रेजी
- 3 आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-1
- 4 जीवन कौशल शिक्षा

### (ब) वैकल्पिक विषय

- (क) कला
- 5 अर्थशास्त्र
- 6 राजनीति विज्ञान
- 7 संस्कृत साहित्य
- 8 इतिहास
- 9 भूगोल
- 10 गणित
- 11 अंग्रेजी साहित्य
- 12.(1) हिन्दी साहित्य
  - (ii) उर्दू साहित्य
  - (iii) सिन्धी साहित्य
  - (iv) गुजराती साहित्य
  - (v) पंजाबी साहित्य
  - (vi) राजस्थानी साहित्य
  - (vii) प्राकृत भाषा
  - (viii) फारसी साहित्य
13. संगीत (कण्ठ अथवा वाद्य)
14. चित्रकला
15. गृहविज्ञान
- 16 समाज शास्त्र
17. दर्शन शास्त्र
18. मनोविज्ञान
19. शारीरिक शिक्षा
20. लोक प्रशासन
- 21 (i) कम्प्यूटर विज्ञान
  - (ii) इन्फोमेटिक्स प्रेक्टिसेस

## वाणिज्य

22. लेखाशास्त्र (30)

23. व्यवसाय अध्ययन (31)

निम्न में से कोई एक :

24. अर्थशास्त्र

25. गणित

26. टंकणलिपि हिन्दी एवं अंग्रेजी

27. हिन्दी शीघ्र लिपि

28. अंग्रेजी शीघ्र लिपि

(i) कम्प्यूटर विज्ञान

(ii) इन्फोमेटिक्स प्रैक्टिसेस

(iii) मल्टीमिडिया और वेब टेक्नोलोजी

## विज्ञान

29. भौतिक विज्ञान

30. रसायन विज्ञान

निम्न में से कोई एक

31. जीव विज्ञान

32. भूविज्ञान

33. गणित

34. (i) कम्प्यूटर विज्ञान

(ii) इन्फोमेटिक्स प्रैक्टिसेस

## कृषि विज्ञान

35. कृषि विज्ञान

36. कृषि जीव विज्ञान

निम्न में से कोई एक :

(i) भौतिक विज्ञान

(ii) कृषि रसायन विज्ञान

(iii) गणित

(iv) कम्प्यूटर विज्ञान

(v) इन्फोमेटिक्स प्रैक्टिसेस

(vi) पर्यावरण विज्ञान

## विषयों के शिक्षागार्थ प्रति सप्ताह निर्धारित कालांश

क्र.सं.	विषय	कालांश : 48
1.	हिन्दी	6
2.	अंग्रेजी	6
3.	आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-1	3
4.	जीवन कौशल	3
5.	ऐच्छिक विषय	30
	प्रथम	10
	द्वितीय	10
	तृतीय	10

7. नैतिक शिक्षा : प्रार्थना सभा, उत्सव आयोजनों एवं सभी विषयों के शिक्षण में समाहित है।

8. पुस्तकालय: पुस्तकालय से पुस्तको का आदान-प्रदान '0' कालांश / मध्य अन्तराल में।

9. शारीरिक शिक्षा: शारीरिक शिक्षा एवं खेल गतिविधियां विद्यालय समय के पूर्व एवं पश्चात् अपेक्षित।

नोट :

1. विद्यालयों जिनमें व्यावसायिक शिक्षा संचालित है, उनमें साप्ताहिक कालाश भार निम्नानुसार रहेगा

(i) आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग। 1 कालाश

(ii) जीवन कौशल – 1 कालाश

(iii) व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड विषय को 4 कालाश

2. कक्षा 11 / उपाध्याय उत्तीर्ण नियमित विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश समाज सेवा योजना शिविर में भाग लेना अनिवार्य होगा। शिविर की ग्रेडिंग का अंकन कक्षा-12 की अंकतालिका/प्रमाणपत्र में किया जायेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) में भाग लेने वाले विद्यार्थी इस शिविर से मुक्त रहेंगे, किन्तु इन विद्यार्थियों की अंकतालिका / प्रमाणपत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन. एस.एस.) में भाग लिया का अंकन किया जायेगा।

## ऐच्छिक विषय सूची (विषय कोड सहित)

### कला संकाय

(कुल तीन विषय लेने हैं)

क्र.सं.	विषय	विषय कोड संख्या
5.	अर्थशास्त्र	(10)
6.	राजनीति विज्ञान	(11)
7.	संस्कृत साहित्य	(12)
8.	इतिहास	(13)
9.	भूगोल	(14)
10.	गणित	(15)
11.	अंग्रेजी साहित्य	(20)
12.	साहित्य (कोई एक विषय)–	
	हिन्दी	(21)
	उर्दू	(22)
	पंजाबी	(25)
	फारसी	(27)
	प्राकृत	(28)
	सिन्धी	(23)
	गुजराती	(24)
	राजस्थानी	(26)
13.	संगीत (16)	
	संगीतकण्ठ	
	या	
	वाद्य यंत्र–सितार	(65)
	सरोद	(66)
	वायलिन	(67)
	दिलरुबा अथवा इसराज	(68)
	बांसुरी	(69)
	गिटार	(70)
	तबला	(63)
	पखावज	(64)
	उपरोक्त में से कोई एक वाद्य का चयन किया जा सकेगा	
	या	
	नृत्य (कथक)	(59)

14. चित्रकला	(17)
15. गृहविज्ञान	(18)
16. समाजशास्त्र	(29)
17. दर्शनशास्त्र	(85)
18. मनोविज्ञान	(19)
19. शारीरिक शिक्षा	(60)
20. लोक प्रशासन	(06)
21. कम्प्यूटर विज्ञान (03) / इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस (04)	(03)/04
22. पर्यावरण विज्ञान	(61)

### 23 व्यावसायिक शिक्षा कोई एक

- |   |  |
|---|--|
| (i) ऑटोमोटिव (101)  | (ii) ब्यूटी एण्ड वैलनेस (102)                                |
| (iii) हेल्थ केयर (103)  |  |
| (iv) इन्फोरमेशन टेकनोलोजी (IT) / इन्फोरमेशन टेकनोलोजी इनेबल्ड सर्विसिज (ITes) (104) |  |
| (v) रिटेल (105)   | (vi) ट्रेवल एण्ड ट्यूरिजम / ट्यूरिजम एण्ड हॉस्पिटैलिटी (106) |
| (vii) एपैरल मेड-अप्स एण्ड होम फर्निशिंग (108)                                       |  |
| (viii) इलेक्ट्रॉनिक्स (109)   | (ix) एग्रीकलचर (110) (x) पलम्बर (111)                        |
| (xi) टेलीकॉम (112)  | (xii) बैंकिंग फाईनेन्शियल सर्विसेज एण्ड इन्श्योरेन्स (113)   |
| (xiii) कंस्ट्रक्शन (114)  | (xiv) फूड प्रोसेसिंग (115)                                   |

उपायुक्त व्यवसायिक शिक्षा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के पत्र क्रमांक रास्कूशिप/जय/व्या.शि/BSER/2024-25 दिनांक 24.07.2025 के अनुसार सत्र 2025-26 में उक्तानुसार ट्रेड्स/सेक्टर व्यवसायिक शिक्षा में संचालित होंगे।

- नोट— (i) इन विषय को केवल वे ही विद्यार्थी चयन कर सकते हैं जिन्होंने इस विषय में 10 उत्तीर्ण की हो।  
(ii) इस विषय को तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में लिया जा सकता है।  
(iii) व्यावसायिक ट्रेड विषयों का पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें एवं अद्यतन निर्देश/नियम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर द्वारा जारी किये जाते हैं वही मान्य होंगे।

## वाणिज्य संकाय

(कुल तीन विषय लेने हैं जिनमें से लेखाशास्त्र (30) व व्यवसाय अध्ययन (31) अनिवार्य है तथा क्रम संख्या 26 से 33 में से कोई एक विषय लेना है।)

24. लेखाशास्त्र	(30)
25. व्यवसाय अध्ययन	(31)
26. अर्थशास्त्र	(10)
27. गणित	(15)
28. टंकणलिपि हिन्दी एवं टंकणलिपि अंग्रेजी	(34, 35)
29. हिन्दी शोघलिपि एवं हिन्दी टंकणलिपि	(32)
30. अंग्रेजी शोघलिपि एवं अंग्रेजी टंकणलिपि	(33)
31. कम्प्यूटर विज्ञान (03) / इन्फॉरमेटिक्स प्रेक्टिस (04)	(03)/(04)
32. पर्यावरण विज्ञान	(61)

### 33. व्यावसायिक शिक्षा कोई एक

- |   |  |
|---|--|
| (i) ऑटोमोटिव (101)  | (ii) ब्यूटी एण्ड वैलनेस (102)                                  |
| (iii) हेल्थ केयर (103)  |  |
| (iv) इन्फोरमेशन टेकनोलोजी (IT) / इन्फोरमेशन टेकनोलोजी इनेबल्ड सर्विसिज (ITes) (104) |  |
| (v) रिटेल (105)   | (vi) ट्रेवल एण्ड ट्यूरिज्म / ट्यूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी (106) |
| (vii) एपैरल मेड-अप्स एण्ड होम फर्निशिंग (108)                                       |  |
| (viii) इलेक्ट्रॉनिक्स (109)   | (ix) एग्रीकलचर (110) (x) पलम्बर (111)                          |
| (xi) टेलीकॉम (112)  | (xii) बैंकिंग फाईनेन्शियल सर्विसेज एण्ड इन्श्योरेन्स (113)     |
| (xiii) कंस्ट्रक्शन (114)  | (xiv) फूड प्रोसेसिंग (115)                                     |

उपायुक्त व्यवसायिक शिक्षा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के पत्र क्रमांक रास्कूशिप/जय/व्या.शि/BSER/2024-25 दिनांक 24. 07.2025 के अनुसार सत्र 2025-26 में उक्तानुसार ट्रेड्स/सेक्टर व्यवसायिक शिक्षा में संचालित होंगे।

- नोट— (i) इन विषय को केवल वे ही विद्यार्थी चयन कर सकते हैं जिन्होंने इस विषय में 10 उत्तीर्ण की हो।  
(ii) इस विषय को तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में लिया जा सकता है।  
(iii) व्यावसायिक ट्रेड विषयों का पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें एवं अद्यतन निर्देश/नियम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा जारी किये जाते हैं वही मान्य होंगे।

## विज्ञान संकाय

(कुल तीन लेने हैं विषय कोड (40) एवं (41) अनिवार्य है तथा क्रम संख्या 36 से 41 में से कोई एक विषय लेना है।)

34. भौतिक विज्ञान	(40)
35. रसायन विज्ञान	(41)
36. जीव विज्ञान	(42)
37. गणित	(15)
38. भू-विज्ञान	(43)
39. कम्प्यूटर विज्ञान (03)/इन्फॉरमेटिक्स प्रैक्टिस (04)	(03)/04
40. पर्यावरण विज्ञान	(61)

### 41. व्यावसायिक शिक्षा कोई एक

- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| (i) ऑटोमोटिव (101)   | (ii) ब्यूटी एण्ड वैलनेस (102)                                 |                  |
| (iii) हेल्थ केयर (103)   |   |                  |
| (iv) इन्फोरमेशन टेकनोलोजी (IT)/ इन्फोरमेशन टेकनोलोजी इनेबल्ड सर्विसिज (ITes) (104) |   |                  |
| (v) रिटेल (105)  | (vi) ट्रेवल एण्ड ट्यूरिज्म/ ट्यूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी (106) |                  |
| (vii) एपैरल मेड-अप्स एण्ड होम फर्निशिंग (108)                                      |   |                  |
| (viii) इलेक्ट्रॉनिक्स (109)  | (ix) एग्रीकलचर (110)  | (x) पलम्बर (111) |
| (xi) टेलीकॉम (112)   | (xii) बैंकिंग फाईनेन्शियल सर्विसेज एण्ड इन्श्योरेन्स (113)    |                  |
| (xiii) कंस्ट्रक्शन (114)   | (xiv) फूड प्रोसेसिंग (115)                                    |                  |

उपायुक्त व्यवसायिक शिक्षा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के पत्र क्रमांक रास्कूशिप/जय/व्या.शि/BSER/ 2024-25 दिनांक 24. 07.2025 के अनुसार सत्र 2025-26 में उक्तानुसार ट्रेड्स/सेक्टर व्यवसायिक शिक्षा में संचालित होंगे।

- नोट— (i) इन विषय को केवल वे ही विद्यार्थी चयन कर सकते हैं जिन्होंने इस विषय में 10 उत्तीर्ण की हो।  
(ii) इस विषय को तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में लिया जा सकता है।

## कृषि संकाय

(कुल तीन लेने हैं जिनमें से कृषि (84) व कृषि जीव विज्ञान (38) अनिवार्य है तथा क्रम संख्या 43 से 49 में से कोई एक विषय लेना है

42. कृषि	(84)	1
43. कृषि जीव विज्ञान	(38)	1
44. कृषि रसायन विज्ञान	(39)	1
45. भौतिक विज्ञान	(40)	1
46. गणित	(15)	4
47. कम्प्यूटर विज्ञान (03)/इन्फॉरमेटिक्स प्रेक्टिस (04)	(03)/04	1
48. पर्यावरण विज्ञान	(61)	1
<b>49. व्यावसायिक शिक्षा कोई एक</b>		
(i) ऑटोमोटिव (101)	(ii) ब्यूटी एण्ड वैलनेस (102)	
(iii) हेल्थ केयर (103)		
(iv) इन्फोरमेशन टेकनोलोजी (IT)/ इन्फोरमेशन टेकनोलोजी इनेबल्ड सर्विसिज (ITes) (104)		
(v) रिटेल (105)	(vi) ट्रेवल एण्ड ट्यूरिजम/ ट्यूरिजम एण्ड हॉस्पिटैलिटी (106)	
(vii) एपैरल मेड-अप्स एण्ड होम फर्निशिंग (108)		
(viii) इलेक्ट्रॉनिक्स (109)	(ix) एग्रीकलचर (110)	(x) पलम्बर (111)
(xi) टेलीकॉम (112)	(xii) बैंकिंग फाईनेन्शियल सर्विसेज एण्ड इन्श्योरेन्स (113)	
(xiii) कंस्ट्रक्शन (114)	(xiv) फूड प्रोसेसिंग (115)	

उपायुक्त व्यवसायिक शिक्षा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के पत्र क्रमांक रास्कूशिप/जय/व्या.

शि/BSER/ 2024-25 दिनांक 24. 07.2025 के अनुसार सत्र 2025-26 में उक्तानुसार ट्रेड्स/सेक्टर व्यवसायिक शिक्षा में संचालित होंगे।

नोट— (i) इन विषय को केवल वे ही विद्यार्थी चयन कर सकते हैं जिन्होंने इस विषय में 10 उत्तीर्ण की हो।

(ii) इस विषय को तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में लिया जा सकता है।

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/मा-स/पर्यावरण (36)/वो-2/2025 दिनांक 20.08.2025 के अनुसार सत्रांको में वृक्षारोपण के अंकभार निर्धारण-

**विशेष – कक्षा 11 के लिए वृक्षारोपण के हिन्दी अनिवार्य तथा अंग्रेजी अनिवार्य में 2-2 अंक देय होंगे जो तृतीय परख के पूर्णांक (10-2= 8) से लिये जाँएँगे तथा प्रत्येक वैकल्पिक विषय के लिए वृक्षारोपण का 1-1 अंक देय होगा जो तृतीय परख के पूर्णांक (10-1= 9) से लिये जाँएँगे।**

**कक्षा 11 उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए विषयवार अंक योजना /परीक्षा योजना**

विषय (कोड संख्या)	प्रश्न पत्र	समय (घंटे)	वार्षिक परीक्षा पूर्णांक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
<b>अनिवार्य विषय-सभी संकायों के लिए</b>				
1. हिन्दी (01)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
2. अंग्रेजी (02)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
3. आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-1 (79)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
4. समाज सेवा योजना (78)	सैद्धान्तिक	3:15		
<b>वैकल्पिक विषय – कला संकाय</b>				
5. अर्थशास्त्र (10)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
6. राजनीति विज्ञान (11)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
7. संस्कृत साहित्य (12)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
8. इतिहास (13)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
9. भूगोल (14)	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	12
10. गणित (15)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
11. अंग्रेजी साहित्य	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
12. साहित्य-हिन्दी (21)/उर्दू(22)/पंजाबी(25)/फारसी(27)/प्राकृत (28)/सिन्धी (23)/गुजराती(24)/राजस्थानी(26)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
13. संगीतकण्ठ (16)	सैद्धान्तिक	3:15	30	12
अथवा वाद्य संगीत (वाद्य यंत्रों हेतु पाठ्यक्रम देखें) अथवा नृत्य	प्रायोगिक		70	26
14. चित्रकला (17)	सैद्धान्तिक	3:15	30	12
	प्रायोगिक		70	26
15. गृहविज्ञान (18)	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	10
16. समाजशास्त्र (29)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
17. दर्शनशास्त्र (85)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
18. मनोविज्ञान (19)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
19. शारीरिक शिक्षा (60)	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	12
20. लोक प्रशासन (06)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
21. कम्प्यूटर विज्ञान (03) / इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस (04)	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	12
22. पर्यावरण विज्ञान (61)	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	12
23. व्यावसायिक ट्रेड विषय (कोई एक ट्रेड)	सैद्धान्तिक	3:15	50	18
	प्रायोगिक	3:00	50	18

वैकल्पिक विषय – वाणिज्य संकाय				
24. लेखाशास्त्र (30)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
25. व्यवसाय अध्ययन (31)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
26. अर्थशास्त्र (10)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
27. गणित (15)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
28. कम्प्यूटर विज्ञान (03) / इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस (04)	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	12
29. अंग्रेजी शीघ्रलिपि (33) अंग्रेजी टंकण (35)	प्रायोगिक	1:00	50	18
	प्रायोगिक	1:00	50	18
30. हिन्दी शीघ्रलिपि (32) हिन्दी टंकण (34)	प्रायोगिक	1:00	50	18
	प्रायोगिक	1:00	50	18
31. हिन्दी टंकण (34) एवं अंग्रेजी टंकण (35)	प्रायोगिक	1:00	50	18
	प्रायोगिक	1:00	50	18
32. पर्यावरण विज्ञान (61)	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	12
33. व्यावसायिक ट्रेड विषय (कोई एक ट्रेड)	सैद्धान्तिक	3:15	50	18
	प्रायोगिक	3:00	50	18
वैकल्पिक विषय – विज्ञान संकाय				
34. भौतिक विज्ञान (40)	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	12
35. रसायन विज्ञान (41)	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	12
36. जीव विज्ञान (42)	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	12
37. गणित (15)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
38. भू-विज्ञान (43)	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	12
39. कम्प्यूटर विज्ञान (03) / इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस (04)	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	12
40. पर्यावरण विज्ञान (61)	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	12
41. व्यावसायिक ट्रेड विषय (कोई एक ट्रेड)	सैद्धान्तिक	3:15	50	18
	प्रायोगिक	3:00	50	18
वैकल्पिक विषय – कृषि संकाय				
42. कृषि विज्ञान (84) अनिवार्य	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	12
43. कृषि जीव विज्ञान (38) अनिवार्य	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	12
<b>निम्न में से कोई एक विषय</b>				
44. कृषि रसायन (39)	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	12
45. भौतिक विज्ञान (40)	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	12
46. गणित (15)	सैद्धान्तिक	3:15	100	36
47. कम्प्यूटर विज्ञान (03) / इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस (04)	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	12
48. पर्यावरण विज्ञान (61)	सैद्धान्तिक	3:15	70	26
	प्रायोगिक	4:00	30	12
49. व्यावसायिक ट्रेड विषय (कोई एक ट्रेड)	सैद्धान्तिक	3:15	50	18
	प्रायोगिक	3:00	50	18

नोट :

1. प्रश्नपत्र की अवधि 3 घण्टे 15 मिनट है।
2. विद्यार्थी विद्यालय में मानवीय एवं भौतिक संसाधनों तथा इच्छित विषय की उपलब्धता के आधार पर विषय का चयन कर सकता है।
3. आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-1 (79) विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है लेकिन प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जायेंगे।
4. चित्रकला, संगीत व गृहविज्ञान में से अधिकतम दो विषय विद्यार्थी द्वारा लिये जा सकते हैं।
5. कम्प्यूटर विज्ञान (03) / इन्फॉरमेटिक्स प्रैक्टिस (04) में से विद्यार्थी को एक विषय लिया जा सकता है।
6. कम्प्यूटर विज्ञान (03) / इन्फॉरमेटिक्स प्रैक्टिस (04) / गणित (15) विषयों का पाठ्यक्रम कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिये समान है।
7. अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम वाणिज्य एवं कला वर्ग के लिए समान है।
8. विद्यार्थी को सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। न्यूनतम उर्तीणांक 36 प्रतिशत है जो शिक्षा विभाग के नियमों से प्रवृत्त होंगे।
9. अंग्रेजी शीघ्रलिपि (33) अंग्रेजी टंकण (35), हिन्दी शीघ्रलिपि (32) हिन्दी टंकण (34), हिन्दी टंकण (34) अंग्रेजी टंकण (35) विषयों के पत्र में दो खण्ड होंगे, जिसमें शीघ्रलिपि के सन्दर्भ में खण्ड अ संकेतलिपि से तथा खण्ड ब संकेतलिपि के अनुवाद को टंकण यंत्र पर टाइप किये जाने से सम्बन्धित होगा। टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी के सन्दर्भ में खण्ड अ हिन्दी और खण्ड ब अंग्रेजी टंकण से सम्बन्धित होगा। विद्यार्थी को खण्ड अ और खण्ड ब दोनों में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
10. कृषि संकाय के विद्यार्थियों के लिये कृषि विज्ञान (84) कृषि जीव विज्ञान (38), लेना अनिवार्य है तथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान/इन्फॉरमेटिक्स प्रैक्टिस/ पर्यावरण विज्ञान में से एक विषय लिया जा सकता है।
11. निर्धारित पुस्तकों की सूची परिशिष्ट "अ" में दी गई है।